



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1456]  
No. 1456]

नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 27, 2007/अग्रहायण 6, 1929  
NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 27, 2007/AGRAHAYANA 6, 1929

रसायन और उर्वरक मंत्रालय  
(रसायन और पेट्रोसायन विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2007

का.आ. 1988(अ).—रासायनिक हथियार अधिनियम, 2000 (2000 का 34) की धारा 6 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार, एतद्वारा, अधिसूचना सं. का. आ. 1439(अ), दिनांक 21 अगस्त, 2007 में, इस अधिसूचना की सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, निम्नांकित संशोधन करती है :-

उक्त अधिसूचना में मद सं. 1 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित मद सं. तथा प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“1. श्री सुजीत बनर्जी

—अध्यक्ष”

[सं. 40020/20/2007-रसायन I]

के. सी. मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th November, 2007

S.O. 1988(E).—In pursuance of the provisions of Sub-section (1) of Section 6 of the Chemical Weapons Act, 2000 (34 of 2000), the Central Government hereby amends the Notification Number S.O. 1439(E), dated 21st August, 2007 with effect from the date of publication of this Notification in the Official Gazette namely :-

In the said Notification, for item Number 1 and the entry relating thereto the following item No. and entry shall be substituted, namely :-

“1. Shri Sujit Bannerjee

—Chairperson.”

[No. 40020/20/2007-CH.I]

K. C. MISRA, Jt. Secy.